न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा।

विविध वाद सं0:–..06../2017–18

श्री सरल कुमार झा

बनाम्

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	मंतव्य
16.1.18	**आदेश** अंचलाधिकारी, गोड्डा सदर के पत्रांक–63/रा0, दिनांक–10.01.2018 के द्वारा विविध वाद संख्या–36/2017–18 प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत अभिलेख मौजा–गंगटा गोविन्दपुर, थाना नं0– 305, दाग नं0– 53 रकवा–00–13–13 धुर अथवा 0.52 एकड़, किस्म– परती कदीम एवं दाग नं0– 60 रकवा–01–19–09 धुर अथवा 1.50 एकड़, किस्म– परती कदीम कुल रकवा– 2.02 एकड़ भूमि का कायम बन्दोवस्ती रदद करने हेतु अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। मौजा–गंगटा गोविन्दपुर गैरमजरूआ खाता सं0– 55 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूखण्ड संबंधित मौजा के प्रधान श्री सुबोध ठाकुर द्वारा प्रधानी पट्टा के माध्यम से कार्यरत सैनिक श्री सरल कुमार झा को बन्दोवस्त किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के बन्दोवस्ती वाद सं0– 17/2009–10 आदेश दिनांक–23.07.2009 एवं दिनांक–01.06.2010 के द्वारा दाग नं0– 53 रकवा–00–13–13 धुर एवं दाग नं0–60 रकवा–01–19–19 धुर के अन्दर रकवा–2.02 एकड़ भूमि बन्दोवस्ती की संपुष्टि की गई प्रतिवेदित है। संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 28 (d) अन्तर्गत एक ही गॉव के भूमिहीन रैयत को गैरमजरूआ खाली परती भूमि की बन्दोवस्ती किया जाना चाहिए। श्री सरल कुमार झा, पिता–स्व0 राधेश्याम झा, साकिन–मोतिया के निवासी है। विभागीय पत्रांक–04/खा0म0 नीति 101/82–4725/रा0, दिनांक–16.08.1982 के आलोक में सैनिकों को भूमि बन्दोवस्ती की शक्ति जिला के समाहर्त्ता को प्राप्त है। सैनिक श्री सरल झा को की गई बन्दोवस्ती जिला के समाहर्त्ता द्वारा नहीं किया गया है। अतः उक्त बन्दोवस्ती को नियम संगत नहीं मानते हुए अंचल अधिकरी, गोड्डा सदर द्वारा बन्दोवस्ती को रद्द करने की अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम प्रधान श्री सुबोध ठाकुर द्वारा पूर्व में पंजी–।। में श्री सरल कुमार झा का नाम प्रविष्ट किया गया है, जिस जमाबन्दी से मालगुजारी रसीद भी कटा है।	

उपरोक्त गैरमजरूआ खास भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 28 (d) के विरूद्ध है एवं संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 42 अन्तर्गत कार्रवाई योग्य है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2248 दिनांक–28.07.1989 के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा– 57 को छोड़कर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को उपायुक्त की शक्ति प्राप्त है।

उपरोक्त परिस्थिति में वर्णित बन्दोवस्ती/भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 28 (d) का उल्लंघन है एवं संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 42 अन्तर्गत कार्रवाई योग्य है क्योंकि सही तथ्यों के आधार पर भूमि का हस्तान्तरण/बन्दोवस्ती नहीं हुआ है।

उपरोक्त वर्णित भूमि मौजा–गंगटा गोविन्दपुर, थाना नं0– 305, दाग नं0– 53 रकवा–00–13–13 धुर अथवा 0.52 एकड़, किस्म– परती कदीम एवं दाग नं0– 60 रकवा–01–19–09 धुर अथवा 1.50 एकड़, किस्म– परती कदीम कुल रकवा– 2.02 एकड़ भूमि के किसी भी हस्तान्तरण/बन्दोवस्ती को उपायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द किया जाता है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर तदनुसार जमाबंदी समाप्त करना सुनिश्चित करेगें।

लेखापित एवं संशोधित।

16.1.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

16.1.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।